

स्टेट यूनिवर्सिटीज केवल राज्य में ही 'डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम' चला सकती है : हाईकोर्ट

कानून का उल्लंघन करने वाली यूनिवर्सिटीज पर हो सकती है कार्यवाही

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा राज्य में "स्टेट यूनिवर्सिटीज" के द्वारा "डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्रामों" पर चल रहे मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्दाजोंग और न्यायाधीश जी.आर.मूलचंदानी की खण्डपीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक्ट के तहत गठित "यूनिवर्सिटीज" केवल राज्य में ही "डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम" चला सकती है। आदेश में आगे कहा गया है कि "स्टेट यूनिवर्सिटीज" किसी और राज्य के अंदर अपने ही अलग-अलग सेन्ट्रों से "डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम" भी नहीं चला सकती है। यह मामला पहले एक जनहित याचिका के माध्यम से अदालत में पेश हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता ने मेघालय स्थित महात्मा गांधी "यूनिवर्सिटीज" से डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स किया था परंतु राजस्थान सरकार ने इस कोर्स को मान्यता नहीं दी थी। अदालत ने फिर इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और अधिवक्ता प्रतीक माथुर को न्याय मित्र घोषित किया था। प्रतीक माथुर ने राष्ट्रदूत को बताया कि "स्टेट एक्ट" के द्वारा कई यूनिवर्सिटीज गठित की गई हैं, परन्तु अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि "स्टेट यूनिवर्सिटीज" केवल राज्य की सीमाओं के अंदर ही "डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम" चला सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इस कानून का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।